भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3145

उत्तर देने की तारीख 11 जुलाई, 2019
20 आषाढ़, 1941 (शक)

मुक्केबाजी के ट्रायल

3145. श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिन राज्यों में मुक्केबाजी ट्रायल आयोजित किए गए थे उनका ब्यौरा क्या है और जिन मुक्केबाजों को इन परीक्षणों में भाग लेने का अवसर दिया गया था उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुक्केबाजी ट्रायल या प्रतियोगिता के लिए अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय परीक्षण मुक्केबाजी चैंपियन को नहीं भेजने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) मुक्केबाजी में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में चयन के लिए ट्रायल आयोजित करना भारतीय मुक्केबाजी परिसंघ (बीएफआई) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है । सरकार चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है । बीएफआई के अनुसार खिलाड़ियों का चयन उनके फिटनेस लेवल और बीएफआई के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली चयन समिति जिसमें देश के ख्यातिप्राप्त अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी सदस्य होते हैं, द्वारा संबंधित समयावधि में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है ।

(ख) और (ग) : उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई खेल, 2018 में प्रतिभागिता के लिए मुक्केबाजों की चयन प्रक्रिया के संबंध में जून और जुलाई, 2018 के महीनों में इस मंत्रालय में 4 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । सरकार चयन प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है । अत: इन शिकायतों को बीएफआई को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित कर दिया गया था ।

*****